मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

की

125वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 12–01–2024

का

कार्यवृत

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 125वीं बैठक दिनांक 12–01–2024 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 125वीं बैठक आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 12–01–2024 को सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदया तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में सचिव एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1.	श्री अभिषेक पाण्डेय	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष।
2.	श्री दीपक मीणा	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य।
3.	श्रीमती ममता मालवीय	अपर नगर आयुक्त प्रतिनिधि नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।	सदस्य।
4.	श्री अतुल कुमार सिंह	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ प्रतिनिधि–विशेष सचिव, वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग–8, लखनऊ।	सदस्य।
5.	श्री कृष्ण मोहन,	सहयुक्त नियोजक, (प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ एवं प्रतिनिधि आयुक्त एन0सी0आर0 गाजियाबाद) सम्भागीय नियोजन खण्ड, मेरठ।	सदस्य
6.	श्री एस0सी0 गौड,	चीफ को–आर्डिनेटर प्लानर, एन0सी0आर0 गाजियाबाद।	सदस्य
7.	श्री मौ0 खालिद	सहायक अभियन्ता, प्रतिनिधि अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय, मेरठ।	सदस्य।

8.	श्री राजेन्द्र बहादुर यादव	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय, मेरठ।	सदस्य।
9.	श्री विरेन्द्र कुमार	अधिशासी अभियन्ता द्वितीय वृत्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, मेरठ प्रतिनिधि आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।	सदस्य
10.	श्री सुलतान अशरफ सिद्दीकी,	अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति, संयुक्त सगठन, मेरठ।	बोर्ड द्वारा नामित सदस्य
11.	श्री चरण सिंह लिसाड़ी,	शासन द्वारा नामित सदस्य, ग्राम व पोस्ट लिसाड़ी, मेरठ।	सदस्य।
12.	श्रीमती वर्षा कौशिक	शासन द्वारा नामित सदस्य, के–03, के ब्लॉक, विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, शास्त्रीनगर, मेरठ।	सदस्य।
13.	श्री नैन सिंह तोमर,	शासन द्वारा नामित सदस्य, गली नं0 01,मकान नं0 8, नेहरू नगर, गढ़ रोड़, मेरठ।	सदस्य।
14.	श्री चन्द्रपाल तिवारी,	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	संयोजक / सदस्य।

कोरम पूर्ण है। अतएव अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक की कार्यवाही आरम्भ करने के निर्देश दिये गये।

124वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17–08–2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि –

माननीय बोर्ड द्वारा दिनांक 17–08–2023 को सम्पन्न 124वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

122वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23–02–2023 में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन–

मद सं0	विषय	अनुपालन आख्या	बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश
1.	2.	3.	4.
8.	प्राधिकरण की शताब्दीनगर योजना में अर्द्धनिर्मित उपाध्यक्ष आवास के भूखण्ड की निहित भूमि का उपयोग "आवासीय" से "सामुदायिक केन्द्र तथा उक्त के क्रम में सामुदायिक केन्द्र के स्थान पर प्रश्नगत तलपट मानचित्र में आवासीय भूखण्डों का नियोजन किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में शताब्दीनगर योजना के सेक्टर 5 में स्थित प्रश्नगत स्थल का नियोजन उपरान्त ई–ऑक्शन के माध्यम नवसृजित समस्त (48) भूखण्डों का आवंटन किया जा चुका हैं।	बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित।
11.	मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में .संचालित सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्टस् को नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित किये जाने के	मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं में सीवर के शोधन हेतु स्थापित एस0टी0पी0 को नगर निगम को हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में मानक संचालन प्रक्रिया :– 1– मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण की	बोर्ड द्वारा समिति की आख्या गहनता से अवलोकित की गयी तथा मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में संचालित सीवरेज ट्रीटमेन्ट

<table>
<tr>
<td></td>
<td>सम्बन्ध में प्रस्ताव।</td>
<td>विभिन्न योजनाओं में सीवर के शोधन हेतु एस0टी0पी0 स्थापित किये गये है, जिनका संचालन वर्तमान में मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। प्राधिकरण की विभिन्न योजना में कुल 13 नग एस0टी0पी0 संचालित किये जा रहे है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–
<table>
<tr><th>S. N.</th><th>Name of STP</th><th>Design Technology</th><th>Capacity of STP (MLD)</th><th>PH</th><th>BOD</th><th>COD</th><th>TSS</th><th>Functional /Non Functional</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ganga Nagar</td><td>SBR</td><td>10</td><td>7.48</td><td>16.0</td><td>152.0</td><td>47.0</td><td>Functional</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Modipuram</td><td>ASEAP</td><td>05</td><td>7.68</td><td>16.0</td><td>156.0</td><td>76.0</td><td>Functional</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Saradha Puri-2</td><td>ASEAP</td><td>06</td><td>7.47</td><td>17.0</td><td>160.0</td><td>53.0</td><td>Functional</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Lohia Nagar</td><td>ASEAP</td><td>10</td><td>7.49</td><td>18.0</td><td>176.0</td><td>64.0</td><td>Functional</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Shatabdi Nagar</td><td>ASEAP</td><td>15</td><td>7.58</td><td>18.0</td><td>172.0</td><td>77.0</td><td>Functional</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Vedvyas puri</td><td>ASEAP</td><td>15</td><td>7.65</td><td>16.0</td><td>176.0</td><td>53.0</td><td>Functional</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Pallav puram-1</td><td>ASEAP</td><td>07</td><td>7.59</td><td>16.0</td><td>152.0</td><td>57.0</td><td>Functional</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Major Dhyan</td><td>ASEAP</td><td>07</td><td>7.38</td><td>15.0</td><td>148.0</td><td>46.0</td><td>Functional</td></tr>
</table>
</td>
<td>प्लान्टस् में समिति द्वारा जो कमियाँ पाई गयी है, उसे पूर्ण कराकर नगर निगम को हस्तान्तरित किये जाने के निर्देश दिये गये। समस्त लम्बित कार्यों को पूर्ण कराने की जिम्मेदारी, मेरठ विकास प्राधिकरण की होगी। प्रत्येक STP पर कार्य पूर्णता उपरांत संबंधित STP नगर निगम को deemed handover मानी जायेगी।</td>
</tr>
</table>

	Chand							
9	Pallav puram-2	ASE AP	11	7.58	16.0	148.0	68.0	Funct ional
10	Raksha puram	ASE AP	06	7.68	17.0	164.0	66.0	Funct ional
11	Pandav Nagar	ASE AP	03	7.39	20.0	168.0	56.0	Funct ional
12	SanikVih ar	ASE AP	06	7.58	15.0	144.0	42.0	Funct ional
13	Saradha Puri-1	ASE AP	06	7.67	15.0	136.0	67.0	Funct ional

उपरोक्त संयंत्रों द्वारा सीवेज जल शोधन के नवीनतम आंकडे संलग्न हैं। (संलग्नक–1)

2– मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित अधिकांश योजनाओं को नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित किया जा चुका है किन्तु इन योजनाओं के एस0टी0पी0 का संचालन नियमित रूप से मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, जिस पर वार्षिक व्यय रू0 9.20 करोड़ हो रहा है।

3– अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा विभिन्न बैठकों में व मेरठ विकास प्राधिकरण की 124वीं बोर्ड बैठक में मा0 बोर्ड द्वारा प्रश्नगत योजनाओं के सभी एस0टी0पी0 को नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित किये जाने हेतु हस्तान्तरण प्रक्रिया के

निर्धारण स्वरूप निम्नानुसार समिति गठित की गयी है:–

1	अपर आयुक्त– II,	अध्यक्ष	(मा0 अध्यक्ष द्वारा नामित)
2	सचिव (मेरठ विकास प्राधिकरण)	सदस्य	
3	अपर नगर आयुक्त	सदस्य	(नगर आयुक्त द्वारा नामित)
4	अधिशासी अभियन्ता (वि/यां) मेरठ विकास प्राधिकरण	सदस्य	
5	अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, मेरठ	सदस्य	(नगर आयुक्त द्वारा नामित)
6	अधिशासी अभियन्ता (जल निगम)	सदस्य	

उक्त समिति को सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का मेरठ विकास प्राधिकरण से नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित किये जाने हेतु मानक संचालक पद्वति (SOP) निर्धारित करने का दायित्व दिया गया है।

		4— उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश, जल निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में विभिन्न शहरों के कुल 79 नग एस0टी0पी0 का संचालन किया जा रहा है तथा जल निगम एस0टी0पी0 के संचालन ही नहीं अपितु एस0टी0पी0 की स्थापना हेतु भी विशेषज्ञ संस्था है। एस0टी0पी0 के संचालन की वर्तमान तकनीकियों व आने वाली तकनीकियों की जानकारी के क्षेत्र में सक्षम एवं योग्य संस्था है। 5— परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं परिकल्प सेवाएँ (वि0/यॉ0 विंग) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा प्राधिकरण के सभी एस0टी0पी0 का निरीक्षण/सर्वे कराया जा चुका है। 6— मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्थित 07 एस0टी0पी0 पर शोधित जल के क्लोरीनेशन हेतु क्लोरीनेशन संयत्र प्रणाली की स्थापना का कार्य जल निगम द्वारा भली भाति किया जा रहा हैं। इस प्रकार जल निगम प्राधिकरण के विभिन्न संयत्रों पर कार्य करने हेतु कुशल एवं अनुभवी संस्था है। 7— परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं परिकल्प सेवाएँ (वि0/यॉ0 विंग) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा सर्वेक्षण उपरान्त प्रत्येक S.T.P पर वर्तमान में उपलब्ध सुविधाएं एवं आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के विषय में	

अवगत कराया गया है। जिनका विवरण निम्नवत् हैः—

S. N.	Name of STP	Existing Infra Structure	Additional Infra Structure	Cost of Additional Infra Structure
1	Ganga Nagar	Mechanical Course Screen, Pressure Guage of MPS Pipes, Mechanical Fine Screen, Conveyor Belt, CCT, V-Notch etc	Repair of Mechanical Course Screen Pressure Guage, Repair of fine Screen, Installation of OCEMS System, Painting etc	168.00 lakh
2	Modipuram	Manual Course Screen, ACF And MGF, UV System, V-Notch etc	Replacement of Manual Course Screen (Stainless Screen), Repair of ACF And MGF, Repair/ Replacement of UV System, Installation of OCEMS System, Painting etc	168.00 Lakh

		3	Saradhapuri - 2	Manual Course Screen, ACF And MGF, UV System, V-Notch etc	Replacement of Manual Course Screen (Stainless Screen), Repair of ACF And MGF, Repair/ Replacement of UV System, Installation of OCEMS System, Painting etc	178.00 Lakh	
		4	Lohia Nagar	Manual Course Screen, V-Notch etc	Replacement of Manual Course Screen (Stainless Screen) Installation of OCEMS System, Painting etc	144.00 Lakh	
		5	Shatabdi Nagar	Manual Course Screen, V-Notch etc	Replacement of Manual Course Screen (Stainless Screen), Installation of OCEMS System, Painting etc	148.00 Lakh	

		6	Vedvyaspuri	Manual Course Screen, V-Notch etc	Replacement of Manual Course Screen (Stainless Screen), Installation of OCEMS System, Painting etc	153.00 Lakh	
		7	Pallavpuram-1	Manual Course Screen, V-Notch etc	Replacement of Manual Course Screen (Stainless Screen), Installation of OCEMS System, Painting etc	148.00 Lakh	
		8	Major Dhyan Chand	Manual Course Screen, V-Notch etc	Replacement of Manual Course Screen (Stainless Screen), Installation of OCEMS System, Painting etc	143.00 Lakh	
		9	Pallavpuram-2	Mechanical Course Screen, V-Notch etc	Replacement of Manual Course Screen (Stainless Screen),	143.00 lakh	

					Installation of OCEMS System, Mechanical Fine Screen, Painting etc		
		10	Rakshapuram	Manual Course Screen, V-Notch etc	Replacement of Manual Course Screen (Stainless Screen), Installation of OCEMS System, Painting etc	143.00 Lakh	
		11	Pandav Nagar	No Chlorination System in Existing STP, V-Notch System etc	Installation of UV System/ Advance Oxidation System, Installation of OCEMS System, Painting etc	146.00 Lakh	
		12	SanikVihar	Manual Course Screen, Settling Tank, V-Notch etc	Replacement of Manual Course Screen (Stainless Screen), Mechanical Fine Screen,	170.00 Lakh	

					UV System/ Advance Oxidation System, Plate Secllers, Installation of OCEMS System, Painting etc		
		13	Saradhapuri-1	Manual Course Screen, V-Notch etc	Replacement of Manual Course Screen (Stainless Screen), Installation of OCEMS System, Painting etc	138.00 Lakh	
					Excluding Taxes & Centage	Rs 1990 Lakh	

8– परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं परिकल्प सेवाएँ (वि0/यॉ0 विंग) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं हेतु अनुमानित आगणन (PFR) भी प्रस्तुत किया गया है। उक्त कार्यो हेतु उ0प्र0 जल निगम द्वारा विस्तृत डी0पी0आर0 शीघ्र ही प्रस्तुत की जायेगी।

9– विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा इंगित कराए गए कार्यों को

		पूर्ण कराने का दायित्व मेरठ विकास प्राधिकरण का है। 10— उपरोक्त आख्या माननीय बोर्ड के समक्ष निम्न विकल्पों के साथ प्रस्तुत हैः— (a) मा0 बोर्ड द्वारा आगणन अनुसार धनराशि मेरठ विकास प्राधिकरण से नगर निगम मेरठ को हस्तांतरित करने हेतु निर्देशित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में धनराशि हस्तांतरण उपरांत समस्त S.T.P. नगर निगम को स्वतः हस्तांतरित माने जाएंगे। (b) मा0 बोर्ड द्वारा प्रत्येक S.T.P पर अथवा अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया जा सकता है। ऐसी दशा में S.T.P पर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत होने के साथ ही S.T.P. नगर निगम मेरठ को हस्तांतरित माने जाएंगे। 11— उपरोक्त विकल्पों के आधार पर आख्या अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
13.	अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अन्तर्गत समाजवादी आवास योजना के अर्द्धनिर्मित भवनों को यथा स्थिति में बल्क सैल के माध्यम से विक्रय किये	प्राधिकरण बोर्ड के निर्देश के अनुपालन में शासन से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु प्राधिकरण कार्यालय द्वारा पत्र सं0 3947 / कार्या0उपा0 / 2023 दिनांक 07—08—2023 अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, लखनऊ को प्रेषित है। उक्त के क्रम में शासन का मार्गदर्शन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ	शासन द्वारा बोर्ड के माध्यम से प्रकरण के निस्तारण विषयक दिशा निर्देश प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार Layout संशोधन की संभावनाओं को तलाशा जाए

	जाने के सम्बन्ध में।	है।	जिससे Bulk Auction की प्रक्रिया से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति हो। उपरोक्तानुसार Bulk Auction की प्रक्रिया सम्पादित की जाये।
14.	हवाई पट्टी के विस्तारीकरण से प्रभावित "निर्माण निषिद्ध क्षेत्र" में पडने वाले 254 आवंटियों के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड द्वारा निर्माण निशिद्ध क्षेत्र में पड़ने वाली सम्पत्तियों का नागरिक उड्डयन विभाग से सत्यापन कराने हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन में अवगत कराना है कि हवाई पट्टी के मध्य से 125 मीटर की दूरी तक दोनों ओर निर्माण निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। 125 से 150 मीटर तक 3 मीटर ऊँचाई का निर्माण, 150 से 175 मीटर तक 6 मीटर ऊँचाई का निर्माण, 175 से 200 मीटर तक 9 मीटर ऊँचाई का निर्माण, 200 से 225 मीटर तक 12 मीटर ऊँचाई का निर्माण, 225 से 250 मीटर तक 15 मीटर ऊँचाई का निर्माण, 250 से 275 मीटर तक 18 मीटर ऊँचाई का निर्माण, 275 से 300 मीटर तक 21 मीटर ऊँचाई का निर्माण, 300 से 325 मीटर तक 25 मीटर ऊँचाई का निर्माण, 325 से 350 मीटर तक 29 मीटर ऊँचाई का निर्माण, 350 से 375 मीटर तक 35 मीटर ऊँचाई का निर्माण, 375 से 400 मीटर तक 37 मीटर ऊँचाई का निर्माण, 400 से 425 मीटर तक 41 मीटर ऊँचाई का	मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा हवाई पट्टी से प्रभावित 53 आवंटियों के समायोजन/परिवर्तन की प्रस्तुत की गयी कार्य–योजना – *1. "समायोजन हेतु प्रस्तुत भूखण्ड/भवन/फ्लैट/विलॉज आदि का क्षेत्रफल पूर्व आवंटित सम्पत्ति के समान होगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में समायोजन हेतु प्रस्तावित आवंटित सम्पत्ति के क्षेत्रफल में 10 प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी अनुमन्य होगी। सम्पत्ति के बढे हुए क्षेत्रफल*

		निर्माण, 425 से 4100 मीटर तक 45 मीटर ऊँचाई का निर्माण, 4100 मीटर से अधिक दूरी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा हवाई पट्टी से प्रभावित कुल 254 सम्पत्तियों का 03 सदस्यों की समिति गठित कर सत्यापन कराया गया। समिति द्वारा हवाई पट्टी से प्रभावित उपरोक्त 254 सम्पत्तियों का सत्यापन करने के उपरान्त यह पाया कि उक्त 254 सम्पत्तियों में से केवल मात्र 53 सम्पत्तियाँ हवाई पट्टी के मध्य से 125 मीटर की दूरी के अन्तर्गत आती है जिन पर किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं है। यें 53 सम्पत्तियाँ निर्माण निषिद्ध क्षेत्र में आती है। उपरोक्त के अतिरिक्त 201 सम्पत्तियाँ जो कि हवाई पट्टी के मध्यम से 279.40 मीटर से 737.91 मीटर के मध्य पड़ती है जिन पर 21 मीटर ऊँचाई से 45 मीटर ऊँचाई तक का निर्माण अनुमन्य है। यें 201 सम्पत्तियाँ निर्माण निषिद्ध क्षेत्र में नहीं आती है। समिति की आख्या मा0 बार्ड के समक्ष अवलोकनीय प्रस्तुत है। हवाई पट्टी से प्रभावित निर्माण निषिद्ध क्षेत्र में पड़ने वाली उपरोक्त 53 आवासीय सम्पत्तियों के सत्यापन के पश्चात् प्रभावित सम्पत्तियों के आवेदकों–आवंटियों के साथ एक बैठक का आयोजन किये जाने हेतु दिनांक	*की कीमत, शासनादेश संख्या–4049/9–आ–1–99/16समिति/1998 दिनाँक : 20 नवम्बर, 1999 के द्वारा विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद की सम्पत्तियों की कास्टिंग के लिये जारी आदर्श मार्ग दर्शक सिद्धान्त (गाइड लाइन्स) के प्रस्तर 15 के अनुसार देय होगी।* 2. *समायोजित आवंटित सम्पत्ति के समायोजन/पुर्नवासन की कार्यवाही लेंड आडिट/ले–आउट पुनरीक्षित होने के उपरान्त किसी भी योजना में उपलब्ध सम्पत्तियों के सापेक्ष की जायेगी।* 3. *सम्पत्ति उपलब्ध होने के पश्चात् आवंटियों के मध्य कम्प्यूटर आधारित पद्धति*

		04–09–2023 व समय मध्यान्ह 12.00 बजें नियत करके, सभी आवेदकों को पत्र जारी किया गया। नियत दिनांक को निर्धारित समयानुसार प्रभावित आवेदकों/आवंटियों के साथ बैठक की गयी। बैठक में 39 आवेदकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। आवेदकों से विचार–विमर्श करने के उपरान्त, प्रभावित आवेदकों की जमा धनराशि 122वीं बोर्ड के निर्णयानुसार 4.00 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज के साथ जमा धनराशि की वापसी हेतु अथवा प्रभावित सम्पत्ति को समायोजन हेतु सम्पत्ति उपलब्ध होने पर सम्पत्ति के बदले सम्पत्ति उपलब्ध कराया जाने का विकल्प आवेदकों के समक्ष रखा गया। निर्धारित प्रारूप पर विकल्प प्राप्त किये। बैठक में उपस्थित सभी आवेदकों द्वारा प्रभावित सम्पत्ति के बदले समान आकार की सम्पत्ति दिये जाने का विकल्प प्रस्तुत किया गया। हवाई पट्टी से प्रभावित निर्माण निषिद्ध क्षेत्र में पड़ने वाली उपरोक्त 53 आवासीय सम्पत्तियों के समायोजन हेतु वर्तमान में शताब्दीनगर योजना के अन्तर्गत कोई अविवादित सम्पत्ति समान आकार की रिक्त नहीं है। हवाई पट्टी से प्रभावित सम्पत्तियों के समायोजन हेतु निम्न कार्य योजना प्रस्तुत हैः– 1. समायोजन हेतु प्रस्तुत भूखण्ड/भवन/फ्लैट/विलॉज आदि का क्षेत्रफल पूर्व आवंटित सम्पत्ति	*से लाटरी ड्रा कर, सम्पत्ति के समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।* *4. समायोजन की प्रक्रिया में आवंटी द्वारा विक्रय पत्र निष्पादित किये जाने हेतु स्टाम्प व्यय/पंजीयन शुल्क आदि का समस्त व्यय, स्वयं वहन किया जायेगा।* *5. समायोजन की कार्यवाही तभी होगी जब सम्बन्धित आवंटी, न्यायालय में विचाराधीन वाद को वापस लेगा तथा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि भविष्य में किसी भी न्यायालय में, प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई वाद मेरठ विकास प्राधिकरण के विरुद्ध योजित नहीं करेगा।* *6. आवंटी द्वारा समायोजन की*

		के समान होगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में समायोजन हेतु प्रस्तावित आवंटित सम्पत्ति के क्षेत्रफल में 10 प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी अनुमन्य होगी। सम्पत्ति के बढे हुए क्षेत्रफल की कीमत, शासनादेश संख्या–4049/9–आ–1–99/16समिति/1998 दिनाँक : 20 नवम्बर, 1999 के द्वारा विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद की सम्पत्तियों की कास्टिंग के लिये जारी आदर्श मार्ग दर्शक सिद्धान्त (गाइड लाइन्स) के प्रस्तर 15 के अनुसार देय होगी। 2. समायोजित आवंटित सम्पत्ति के समायोजन/पुर्नवासन की कार्यवाही लेंड आडिट/ले–आउट पुनरीक्षित होने के उपरान्त किसी भी योजना में उपलब्ध सम्पत्तियों के सापेक्ष की जायेगी। 3. सम्पत्ति उपलब्ध होने के पश्चात् आवंटियों के मध्य कम्प्यूटर आधारित पद्धति से लाटरी ड्रा कर, सम्पत्ति के समायोजन की कार्यवाही की जायेगी। 4. समायोजन की प्रक्रिया में आवंटी द्वारा विक्रय पत्र निष्पादित किये जाने हेतु स्टाम्प व्यय/पंजीयन शुल्क आदि का समस्त व्यय, स्वयं वहन किया जायेगा। 5. समायोजन की कार्यवाही तभी होगी जब सम्बन्धित	*सहमति न दिये जाने की दशा में 122वीं बोर्ड के मद सं0 16 में पारित निर्णयानुसार आवंटी को आवंटन की शर्तो के अनुरूप जमा धनराशि वापस की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में भविष्य में आवंटी का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।* *7. प्रस्तुत समायोजन/पुर्नवासन की कार्यवाही अन्तिम प्रक्रिया के रूप में अपनायी जायेगी तथा इस प्रक्रिया के पश्चात् प्रभावित आवंटी का दावा अन्तिम रूप से समाप्त समझा जायेगा।"* पर मा0बोर्ड द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि प्रस्तावित Rehabilitation की प्रक्रिया One time final settlement

		आवंटी, न्यायालय में विचाराधीन वाद को वापस लेगा तथा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि भविष्य में किसी भी न्यायालय में, प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई वाद मेरठ विकास प्राधिकरण के विरूद्ध योजित नहीं करेगा। 6. आवंटी द्वारा समायोजन की सहमति न दिये जाने की दशा में 122वीं बोर्ड के मद सं0 16 में पारित निर्णयानुसार आवंटी को आवंटन की शर्तो के अनुरूप जमा धनराशि वापस की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में भविष्य में आवंटी का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। 7. प्रस्तुत समायोजन/पुर्नवासन की कार्यवाही अन्तिम प्रक्रिया के रूप में अपनायी जायेगी तथा इस प्रक्रिया के पश्चात् प्रभावित आवंटी का दावा अन्तिम रूप से समाप्त समझा जायेगा।	procedure के रूप में संपादित की जाए।

दिनांक 20–11–2021 को सम्पन्न 118वीं बोर्ड बैठक एवं दिनांक 23–02–2023 को सम्पन्न 122वीं बोर्ड बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन –			
13 व 04	मेरठ विकास प्राधिकरण में जेम पोर्टल के माध्यम से आउट सोर्सिगं पर 02 मानचित्रकार (ड्राफ्टमैन), 01 लेखपाल, 01 लेखाकार, 01 विधि अधिकारी एवं 01 प्लानिंग असिस्टेन्ट कार्य पर रखे जाने एवं सेवानिवृत्त/ स्थानान्तरित अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ताओं के रिक्त पदों पर प्राधिकरण से सेवानिवृत्त अभियन्ताओं को मानदेय पर रखे जाने के सम्बन्ध में।	अवगत कराना है कि मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारी प्रत्येक माह 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होते जा रहे है जिससे वर्तमान में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी आ रही है। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में मेरठ विकास प्राधिकरण का कार्य सुचारू रूप से सम्पादन हेतु सहायक अभियन्ता–01, ड्राफ्टस्मेन–02, अर्बन प्लानर–01, लेखपाल–01, लेखाकार–01, प्लानिंग असिस्टेन्ट–01, कम्प्यूटर टाईपिस्ट–29, सहायक लेखाकार–01, लिपिक–02, सुरक्षागार्ड–06 आउट सोसिंग के माध्यम से आवश्यकतानुसार नियोजित किये गये तथा वर्तमान में कार्यरत् हैं तथा विधि सलाहकार–01, ट्रान्सपोर्ट प्लानर–01, अर्बन डिजाईनर–01 एवं सहायक लेखाकार–01 रखा जाना शेष है। प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में आख्या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।	मा0 बोर्ड द्वारा पूर्व में स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियुक्तियों को अनुमोदित किया गया एवं कार्य की अधिकता के दृष्टिगत नियुक्त किये गये अन्य संविदा कर्मियों की नियुक्ति को post facto अनुमोदित किया गया।

124वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17–08–2023 में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन –			
मद सं0	विषय	निर्णय	बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश
1.	मेरठ महायोजना–2031 (प्रारूप) पर एसडीए परतापुर में लगाये गये लैण्डयूज पर जनसामान्य/व्यक्ति विशेष/संस्था से प्राप्त आपत्ति/सुझावों के समिति की संस्तुति एवं यू0पी0 ग्लोबल समिट के दौरान प्राप्त हुए निवेशकों के प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में परीक्षण कर समिति की संस्तुति के क्रम में मेरठ महायोजना–2031 (प्रारूप) का मा0 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्णय के क्रम में मेरठ महायोजना–2031 (प्रारूप) एवं मेरठ महायोजना–2031 रिपोर्ट शासन से अनुमोदन हेतु दिनांक 05.10.2023 को प्रेषित की गयी तथा दिनांक 10.11.2023 को शासकीय समिति के समक्ष मेरठ महायोजना–2031 (प्रारूप) का प्रस्तुतीकरण किया गया। मेरठ महायोजना–2031 (प्रारूप) को स्वीकृति हेतु दिनांक 03.01.2024 को मा0 मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। मेरठ महायोजना–2031 पर शीघ्र ही स्वीकृति प्राप्त होने की सम्भावना है।	मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

2.	यू0पी0ओ0बी0पी0ए0एस0 पोर्टल पर ऑनलाईन मानचित्रों के निस्तारण हेतु विभिन्न विभागों यथा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), लोक निर्माण विभाग मेरठ, एन0एच0ए0आई0, अग्निशमन विभाग, पर्यावरण / प्रदूषण विभाग, सिंचाई से वांछित अनापत्तियां आवेदन की तिथि से 45 दिनो के अन्दर प्राप्त हो, अन्यथा की स्थिति में यह मानते हुए कि सम्बन्धित विभाग को कोई आपत्ति नही है मानचित्रों की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्णय के क्रम में SOP (Standard Operating Procedures) & Digital App/Portal तैयार किये जाने की कार्यवाही की जा रही है तथा अनापत्तियों के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों से पत्राचार किया जा रहा है एवं दिनांक 09.11.2023 को पुनः पत्र प्रेषित किया गया है।	मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।
3.	प्राधिकरण से विकासकर्ताओ द्वारा कालोनियों के स्वीकृत कराये गये तलपट मानचित्र के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा	मा0 बोर्ड के निर्णय क्रम में समिति द्वारा समय–समय पर स्वीकृत कालोनियों / ग्रुप हॉउसिंग परियोजनाओं में आवासीय परिसरों को नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरित किये जाने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का निम्नवत	मा0 बोर्ड द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत आवासीय परियोजनाओं को तत्काल नगर निगम को हस्तान्तरित किये

<table>
<tr>
<td></td>
<td>नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त कालोनी नगर निगम, मेरठ को 45 दिनों की समयावधि के अन्दर हस्तान्तरित हो, अन्यथा की स्थिति में यह मानते हुए कि सम्बन्धित विभाग को कोई आपत्ति नही है कालोनियां स्वतः ही नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित हो जाने के सम्बन्ध में।</td>
<td>निर्धारण किया गया है :—
1. मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा शहर में सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान दिनांक तक कुल 402 आवासीय कालोनिया स्वीकृत की गयी।
2. स्वीकृत कालोनियों का विवरण निम्नानुसार हैः—
<table>
<tr><td></td><td colspan="2">Pre-OBPAS</td><td colspan="2">Post OBPAS</td><td>Regularized</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Total Number of layout Sanctioned</td><td>Orig.</td><td>Compounding</td><td>Orig.</td><td>Compounding</td><td></td></tr>
<tr><td>246</td><td>11</td><td>12</td><td>14</td><td>119</td></tr>
</table>
1. इस प्रकार प्राधिकरण द्वारा 19 ग्रुप हाउसिंग परियोजनाये स्वीकृत की गयी है।
2. समय—समय पर स्वीकृत कालोनियों / ग्रुप हॉउसिंग परियोजनाओं के निवासियों द्वारा इन आवासीय परिसरों को नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरित किये जाने की मांग की जाती रही है।
3. नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरित न किये जाने के फलस्वरूप इन आवासीय परिसरो में विकसित अवस्थापना सुविधाओं का क्षरण हो रहा है, जिससे</td>
<td>जाने के निर्देश दिये गये एवं ऐसी समस्त आवासीय योजनाए जहाँ
(i) पूर्व में पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किये जा सके है एवं
(ii) जहाँ पर सम्बन्धित RWA द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि RWA वर्तमान में अवस्थित अवस्थापना सुविधाओं से संतुष्ट है। एवं
(iii) RWA को उपरोक्त आवासीय कालोनी नगर निगम को हस्तान्तरित करने मे कोई आपत्ति नहीं है, ऐसी समस्त आवासीय परियोजनाओं के विषय में सम्बन्धित RWA से उक्त आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर समस्त सूचनाओं का संकलन कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के</td>
</tr>
</table>

		निवासियों को लगातार समस्याओं का सामना करना पड रहा है। 4. वर्तमान दिनांक तक प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कुल 421 आवासीय कालोनिया/ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में से एक भी कालोनी/परियोजना नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरित नही की गयी है। 5. हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल/पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के उददेश्य से निम्नानुसार मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है:— (a) सर्वप्रथम प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कर समस्त स्वीकृत कालोनियों के निवासियों/पंजीकृत आर.डब्ल्यू.ए./ए.ओ.ए. के माध्यम से आन्तरिक एवं वाहय विकास कार्यो के विषय में शिकायतें/सुझाव प्राप्त किये जाएगे। (b) इसके उपरान्त प्राधिकरण द्वारा समस्त शिकायतों का भौतिक सत्यापन करवाया जाएगा। (c) सत्यापन उपरान्त कालोनियेां में अपूर्ण आन्तरिक विकास कार्यो को पूर्ण करवाने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की एवं वाहय विकास कार्य पूर्ण करवाने की जिम्मेदारी प्राधिकरण की होगी। (d) इस प्रकार समस्त आन्तरिक एवं वाहय विकास	निर्देश दिये गये।

		कार्य सम्पूर्ण रूप से सम्पादित किये जाने के उपरान्त आवासीय कालोनी नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरित की जाएगी। (e) जिन कालोनियों में विगत में आन्तरिक/वाहय विकास कार्यो का अपूर्ण होना नही पाया जाता है तो बिन्दु संख्या-(a) में उल्लिखित कालोनियां विज्ञप्ति प्रकाशन के एक माह के भीतर नगर निगम, मेरठ को स्वतः हस्तगत मानी जाएगी। 6. उपरोक्त एस.ओ.पी. के क्रियान्वयन से न केवल पूर्ण आवासीय कालोनियां नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरित की जा सकेगी, वरन् स्वीकृत आवासीय परियोजनाओं में अपूर्ण आन्तरिक विकास कार्यो को भी योजनाबद्ध पद्धति से करवाया जाना सम्भव होगा। अवलोकनोपरान्त अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।	
4.	उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 अधिसूचना संख्या-2119/आठ-3-22-10 विविध/2019 लखनऊ दिनांक 23.08.2022 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-785/आठ-3-2023 दिनांक 10.04.2023 में उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर (यथा संशोधन) नीति, 2021 के उल्लेखित प्राविधानों को अंगीकार कर लिया गया है। मा0 बोर्ड के निर्णय के क्रम में कार्यवाही की जा रही है।	मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

124वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17–08–2023 में प्रस्तुत अनुपूरक प्रस्ताव का अनुपालन–

मद सं0	विषय	निर्णय	बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश
1.	ग्राम बराल परतापुर, मेरठ के खसरा संख्या–604 / 03, 605, 619 व 621 की भूमि क्षेत्रफल 17374.00 वर्ग मी0 पर बजट होटल के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्णय के क्रम में ग्राम बराल परतापुर, मेरठ के खसरा संख्या–604 / 03, 605, 619 व 621 की भूमि क्षेत्रफल 17374.00 वर्ग मी0 पर बजट होटल के मानचित्र संख्या– MDA/BP/22-23/0241 ऑनलाईन यू0पी0ओ0बी0पी0ए0एस0 पोर्टल पर दिनांक 22.12.2023 को स्वीकृत किया जा चुका है।	मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।
2.	ग्राम जई किला परीक्षित गढ रोड, मेरठ के खसरा संख्या–793 की भूमि क्षेत्रफल 1400.00 वर्ग मी0 पर पेट्रोल पम्प के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्णय के क्रम में ग्राम जई किला परीक्षित गढ रोड, मेरठ के खसरा संख्या–793 की भूमि क्षेत्रफल 1400.00 वर्ग मी0 पर पेट्रोल पम्प के मानचित्र संख्या MDA/BP/23-24/0139 ऑनलाईन यू0पी0ओ0बी0पी0ए0एस0 पोर्टल पर दिनांक 26.10.2023 को स्वीकृत किया जा चुका है।	मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

125वीं बोर्ड बैठक दिनांक 12–01–2024 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय–

मद सं0	विषय	निर्णय
1.	मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण /नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों के समग्र विकास हेतु जिला व तहसील मेरठ में स्थित ग्राम छजमलपुर उर्फ छज्जूपुर, इकला, दौलतपुर फखराबाद उर्फ कायस्थ गांवड़ी एवं ग्राम मोहिउद्दीनपुर की भूमि कृषकों से आपसी बातचीत के माध्यम से क्रय करने हेतु दर निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत ग्राम छजमलपुर उर्फ छज्जूपुर, इकला, दौलतपुर, फखराबाद उर्फ कायस्थ गांवडी एवं ग्राम मोहिउद्दीनपुर की भूमि कृषकों से आपसी सहमति के माध्यम से क्रय करने हेतु जिलाधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता में समिति द्वारा निर्धारित किये गये दर की स्वीकृति प्रदान करने के साथ–साथ आवश्यकतानुसार भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 की धारा–11 के अन्तर्गत भी कार्यवाही करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
2.	उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0–1/391332/2023	उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा विकास प्राधिकरण में केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवा के दिनांक 01.04.2005 अथवा उसके पश्चात विनियमित कार्मिकों को सेवानिवृत्त उपदान और मृत्यु उपदान का लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 20–09–2023 को मा0 बोर्ड द्वारा अंगीकृत किया गया।

	फाईल नं0–8–5001(099) /8 /2023–5 दिनांक 20.09.2023 के क्रम में प्राधिकरण में केन्द्रीयित/ अकेन्द्रीयित सेवा के दिनांक 01.04.2005 अथवा उसके पश्चात विनियमित कार्मिकों को सेवानिवृत्त उपदान और मृत्यु उपदान का लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु प्रस्ताव।	
3.	मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में कतिपय व्यक्तियों के पक्ष में भूखण्ड/भवन/फ्लैट /विलॉज आदि का एक से अधिक बार आवंटन होना पाया जाना तथा योजना की अनुपयोगी भूमि यथा कब्रिस्तान, बिजलीघर आदि की भूमि पर भूखण्ड आवंटित होने के सम्बन्ध	मा0 बोर्ड द्वारा चर्चा उपरान्त विकास प्राधिकरण की योजनाओं में एक सम्पत्ति का एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में आवंटन होना पाये जाने तथा योजना की अनुपयोगी भूमि यथा कब्रिस्तान, बिजलीघर आदि की भूमि पर भूखण्ड आवंटित होना पाया जाने से सम्बन्धित आवंटन के समायोजन/परिवर्तन की प्रस्तुत की गयी निम्न कार्य–योजना – 1. *"समायोजन हेतु प्रस्तुत भूखण्ड/भवन/फ्लैट/विलॉज आदि का क्षेत्रफल पूर्व आवंटित सम्पत्ति के समान होगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में समायोजन हेतु प्रस्तावित आवंटित सम्पत्ति के क्षेत्रफल में 10 प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी अनुमन्य होगी। सम्पत्ति के बढे हुए क्षेत्रफल की कीमत, शासनादेश संख्या–4049/9–आ–1–99/16समिति/1998 दिनाँक : 20 नवम्बर, 1999 के द्वारा विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद की सम्पत्तियों की कास्टिंग के लिये जारी आदर्श मार्ग दर्शक सिद्धान्त (गाइड लाइन्स) के प्रस्तर 15 के अनुसार देय*

	में।	होगी। 2. समायोजित आवंटित सम्पत्ति के समायोजन/ पुर्नवासन की कार्यवाही लेंड आडिट/ले–आउट पुनरीक्षित होने के उपरान्त किसी भी योजना में उपलब्ध सम्पत्तियों के सापेक्ष की जायेगी। 3. सम्पत्ति उपलब्ध होने के पश्चात् आवंटियों के मध्य कम्प्यूटर आधारित पद्धति से लाटरी ड्रा कर, सम्पत्ति के समायोजन की कार्यवाही की जायेगी। 4. समायोजन की प्रक्रिया में आवंटी द्वारा विक्रय पत्र निष्पादित किये जाने हेतु स्टाम्प व्यय/पंजीयन शुल्क आदि का समस्त व्यय, स्वयं वहन किया जायेगा। 5. समायोजन की कार्यवाही तभी होगी जब सम्बन्धित आवंटी, न्यायालय में विचाराधीन वाद को वापस लेगा तथा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि भविष्य में किसी भी न्यायालय में, प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई वाद मेरठ विकास प्राधिकरण के विरूद्ध योजित नहीं करेगा। 6. आवंटी द्वारा समायोजन की सहमति न दिये जाने की दशा में 122वीं बोर्ड के मद सं0 16 में पारित निर्णयानुसार आवंटी को आवंटन की शर्तो के अनुरूप जमा धनराशि वापस की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में भविष्य में आवंटी का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। 7. प्रस्तुत समायोजन/ पुर्नवासन की कार्यवाही अन्तिम प्रक्रिया के रूप में अपनायी जायेगी तथा इस प्रक्रिया के पश्चात् प्रभावित आवंटी का दावा अन्तिम रूप से समाप्त समझा जायेगा।'' की समस्त शर्तो का पालन करते हुए Land monetisation की प्रक्रिया सम्पादित होने के उपरान्त, समायोजन की कार्यवाही One time Final Settelement procedure के रूप में सम्पादित किये जाने के निर्देश दिये गये।

4.	मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में प्रयोजन हेतु ग्रीन वर्ज, पार्क, आवासीय, व्यवसायिक, सड़क तथा मानको के अनुरूप सुविधाओं को छोडते हुए शेष निष्क्रिय पडी भूमि को नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में प्रयोजन हेतु ग्रीन वर्ज, पार्क, आवासीय, व्यवसायिक, सड़क तथा मानको के अनुरूप सुविधाओं को छोडते हुए शेष निष्क्रिय पडी भूमि को नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव के विषय में निम्नानुसार निर्देश दिये गयेः– 1. Layout परिवर्तन हेतु निम्न तकनीकी समिति का गठन किया जाये– सचिव, मे0वि0प्रा0, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा नामित प्रतिनिधि, नगर नियोजक, मे0वि0प्रा0 2. तकनीकी समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के विषय में शासनादेश संख्या–2438/9–आ–3–98–60 एल.यू.सी/96 दिनांक 13–10–1998 द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशन उपरान्त जन सामान्य से आपत्तियाँ आमंत्रित की जाए। 3. बिन्दु 1 व 2 में प्रख्यापित कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त Layout परिवर्तन प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अंतिम स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाए।
5.	लोहियानगर आवासीय योजना में निर्मित/अर्धनिर्मित(एल.आई.जी. व ई. डब्लू.एस.) भवनों के अनुबन्धों को यथास्थिति अन्तिम करते हुए बल्क में विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा उपरोक्त भवनों की जन सामान्य में माँग के विषय में प्रेच्छा की गयी। मा0 बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्राधिकरण द्वारा दिनांक 08–08–2013 से 23–11–2023 के मध्य "पहले–आओं, पहले–पाओं" योजना अंतर्गत प्राधिकरण की Unsold built Inventory के विक्रय की कार्यवाही की गयी थी। Unsold built Inventory की कार्यवाही को जन सामान्य हेतु आकर्षक बनाने हेतु कीमतें वर्ष–2018 की दरों पर फ्रीज़ की गयी थी। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से प्राधिकरण की 200 सम्पत्ति विक्रय की गयी। परन्तु लोहियानगर आवासीय योजना की परियोजना की कोई सम्पत्ति विक्रय नहीं हुई। इससे

		स्पष्ट है कि उपरोक्त आवासीय परियोजना हेतु जन सामान्य क रूचि नगण्य है एवं परियोजना में अवस्थित संपत्तियों का निस्तारण ना होने के कारण सम्पत्तियों का मूल्य लगातार depriciate हो रहा है, जिससे कि प्राधिकरण को लगातार वित्तीय हानि हो रही है। उपरोक्त तथ्यों पर मंथन उपरान्त मा0 बोर्ड द्वारा निम्नुसार निर्देश दिए गए। 1. सर्वप्रथम योजना में निहित भूमि एवं अवस्थित संपत्तियों का Updated मूल्यांकन करा लिया जाए, जिससे कि नीलामी प्रक्रिया में अद्यतन् base price का निर्धारण किया जा सके। 2. इसके उपरान्त प्रतिस्पर्धात्मक एवं पारदर्शी प्रक्रिया अनुसार परियोजना की नीलामी की जाए। उपरोक्त निर्देशों के साथ मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
6.	कंकरखेडा शिव चौक तिराहा के, ट्रैफिक जाम की समस्या के निराकरण हेतु, पुर्नविकास कराये जाने के सम्बंध में प्रस्ताव।	कंकरखेडा शिव चौक तिराहा के ट्रैफिक जाम की समस्या का स्थायी रूप से निराकरण किये जाने के सम्बन्ध तिराहा का पुर्नविकास किये जाने हेतु अंकन रूपये 40 लाख की स्वीकृति अवस्थापना मद से मा0 बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी।
7.	ग्राम सलारपुर जलालपुर, मेरठ के खसरा संख्या–574/1 क्षेत्रफल 1225.00 वर्ग मी0 भूमि पर पेट्रोल पम्प/रिटेल	मा0 बोर्ड द्वारा ग्राम सलारपुर जलालपुर, मेरठ के खसरा संख्या–574/1 क्षेत्रफल 1225.00 वर्ग मी0 भूमि पर पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट मानचित्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गयी समिति की आख्या का अवलोकन किया गया तथा मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गयी।

	आउटलेट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	
8.	मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी शुल्कों को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त, मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी शुल्कों को पुनरीक्षित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
9.	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित में) संशोधन संबंधी जारी शासनादेश संख्या–2942 / 2023 / 8–3099 / 1710 / 2020 दिनांक 30.11.2023 को अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में।	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधितं) मे संशोधन संबंधी जारी शासनादेश संख्या–2942 / 2023 / 8–3099 / 1710 / 2020 दिनांक 30.11.2023 को मा0 बोर्ड द्वारा अंगीकृत किया गया।
10.	प्राधिकरण की वेदव्यासपुरी योजना में खसरा संख्या–1009, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 व 1016 ग्राम घाट मेरठ की भूमि को क्रय / अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त, प्राधिकरण की वेदव्यासपुरी योजना में खसरा संख्या 1009, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 व 1016 ग्राम घाट मेरठ की भूमि को मुख्य सड़क से जोडने हेतु आवश्यकतानुसार भूमि क्रय / विनिमय / अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

11.	वैशाली कालोनी के निरस्त तलपट मानचित्र संख्या–138 व मित्र लोक कालोनी के निरस्त तलपट मानचित्र संख्या–502/96 को पुनर्जीवित किये जाने के सम्बन्ध में।	वैशाली कालोनी के निरस्त तलपट मानचित्र संख्या–138 व मित्र लोक कालोनी के निरस्त तलपट मानचित्र संख्या–502/96 को पुनर्जीवित किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अन्य शासकीय विभागों की भूमि के सम्बन्ध में उनसे राय/सहमति/अनापत्ति प्राप्त कर पुनः प्रकरण को आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गए।
12.	दिल्ली रोड (शताब्दीनगर) से दिल्ली मेरठ रेलवे लाईन (आयल डिपो) वेदव्यासपुरी योजना की 68 मी0 चौडे मार्ग तक ईनर रिंग रोड के निर्माण के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त, दिल्ली रोड (शताब्दीनगर) से दिल्ली मेरठ रेलवे लाईन (आयल डिपो) वेदव्यासपुरी योजना की 68 मी0 चौडे मार्ग तक ईनर रिंग रोड के निर्माण के सम्बन्ध में Town planning scheme के आधार पर परियोजना क्रियान्वन कराने के निर्देश दिये गये। बोर्ड द्वारा Town planning scheme के गठन हेतु प्रतिष्ठित एजेंसियों यथा HUDCO, SPA–दिल्ली, CEPT–अहमदाबाद की सेवाएं लिए जाने हेतु निर्देशित किया गया। यदि प्राधिकरण को Town planning scheme के आधार पर भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में प्रस्तुत DPR के आधार पर परियोजना क्रियान्वन के निर्देश दिये गये।
13.	मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना निधि के अन्तर्गत मेरठ नगर क्षेत्र में स्थित 25 परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प हेतु प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड द्वारा चर्चा उपरान्त, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना निधि के अन्तर्गत मेरठ नगर क्षेत्र में स्थित 25 परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

14.	मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना निधि के अन्तर्गत मेरठ शहर में चयनित स्थानों पर यात्री शैल्टर निर्माण कराये जाने हेतु प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड द्वारा चर्चा उपरान्त, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना निधि के अन्तर्गत मेरठ शहर में निम्न स्थानों पर यात्री शैल्टर निर्माण किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया– तेजगढ़ी बस स्टाप, यूनिवर्सिटी पर 2 बस स्टाप, हापुड अड्डा बस स्टाप, नई सडक बस स्टाप, पी0वी0एस0माल बस स्टाप, मेरठ मेडिकल कालेज पर 2 बस स्टाप, बच्चा पार्क बस स्टाप तथा जी0आई0सी0 बस स्टाप (कुल 10 बस स्टाम्प)। इसके अतिरिक्त मा0 बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्रबंध निदेशक, मेरठ सिटि ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लि0 द्वारा पत्र सं0 27/प्र.नि./मे.सि.ट्रा.लि.मेरठ/संचालक/24 दिनांक 06–01–2024 के माध्यम से मेरठ में संचालित इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग हेतु Opportunity Charging Station स्थापित करने के लिये कतिपय स्थलों पर न्युनतम् 1000 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। पत्र में उल्लिखित तीन विकल्पों में से प्रथम विकल्प "मेरठ सरधना मार्ग पर कंकरखेड़ा बाईपास के निकट", के समीप प्राधिकरण की श्रद्धापुरी योजना फेस–2 में उक्त क्षेत्रफल की भूमि उपलब्ध है। Land Monetistion की कार्यवाही सम्पादित होने के उपरान्त उक्त भूमि का नियोजन e-Charging Station की स्थापना हेतु किया जा सकता है। मा0 बोर्ड द्वारा प्रकरण पर विचार कर निम्न निर्देश दिए गये:– 1) चूँकि मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ सिटि ट्रान्सपोर्ट लिमिटेड में 1/3 का हिस्सेदार है, 2) एवं Charging Station की स्थापना से जन सामान्य हेतु eco-friendly एवं affordable public transport सुविधा को बढ़ावा मिलेगा। 3) अतएव Land Monetistion की कार्यवाही उपरान्त प्राधिकरण की श्रद्धापुरी फेस–2 योजना में स्थित उपरोक्तानुसार वर्णित भूमि मेरठ सिटि ट्रान्सपोर्ट लिमिटेड को

		निशुल्क उपलब्ध करायी जाये। भूमि हस्तान्तरण की प्रक्रिया के दौरान अधिरोपित शुल्क/स्टाम्प/व्यय आदि को वहन करने की जिम्मेदारी मेरठ सिटि ट्रान्सपोर्ट लिमिटेड की होगी।
15.	मेरठ विकास प्राधिकरण की वेद व्यासपुरी योजना में मैसर्स अन्सल लैण्डमार्क टाउनशिप्स प्रा0लि0 को आवंटित आवासीय बल्क भूमि के सापेक्ष आडिट आपत्ति के क्रम में 10 प्रतिशत सरचार्ज की देयता वसूल करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	प्राधिकरण की वेद व्यासपुरी योजना में मैसर्स अन्सल लैण्डमार्क टाउनशिप्स प्रा0लि0 को आवंटित आवासीय बल्क भूमि के सापेक्ष आडिट आपत्ति से आवंटित भूमि मूल्य पर उपजी 10 प्रतिशत सरचार्ज की देयता के सम्बन्ध में बिल्डर द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित सिविल मिस0रिट याचिका सं0 6012/2021 मैसर्स अन्सल लैण्ड मार्क टाउनशिप्स प्रा0लि0 बनाम उ0प्र0राज्य सरकार व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांकित 22–03–2021 यह "Till the next date of listing, no coercive action shall be taken against the petitioner for realisation of the amount of demand." के दृष्टिगत सरचार्ज के मद में देय धनराशि, सेक्टर–4ए की अवशेष 50.733 एकड़ भूमि के बिल्डर के आवंटियों/सम्पत्ति क्रेताओं से रूपये 1431/– की दर से धनराशि जमा कराकर विक्रय विलेख विल्डर के पक्ष में तत्पश्चात् बिल्डर द्वारा सम्पत्ति क्रेताओं के पक्ष में निष्पादित कराने की सहमति मा0 बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी।
16.	वित्तीय वर्ष 2023–24 माह दिसम्बर, 2023 तक का वास्तविक एवं पुनरीक्षित आय–व्ययक।	मा0 बोर्ड द्वारा चर्चा उपरान्त वित्तीय वर्ष 2023–24 माह दिसम्बर, 2023 तक का वास्तविक एवं पुनरीक्षित आय–व्ययक अनुमोदित किया गया। इस वित्तीय वर्ष में माह दिसम्बर 2023 तक मेरठ विकास प्राधिकरण को 120 करोड़ रूपये का शुद्ध लाभ प्राप्त है जो विगत वित्तीय वर्षो की तुलना में सर्वाधिक है।
17.	वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में प्राधिकरण की Audited बैलेंस शीट का	मा0 बोर्ड द्वारा चर्चा उपरान्त वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में प्राधिकरण की Audited बैलेंस शीट को अनुमोदित किया गया।

	अनुमोदन।	
18.	प्राधिकरण की लोहियानगर योजना के पाकेट 'एफ' में नगर निगम, मेरठ द्वारा डाले जा रहे कूड़ा स्थल के समतुल्य भूमि नगर निगम मेरठ द्वारा नगर निगम क्षेत्र में अथवा उसके बाहर मेरठ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड द्वारा विनिमय हेतु नगर निगम मेरठ की स्वामित्व की समतुल्य भूमि के विषय में आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु नगर निगम मेरठ को निर्देशित किया गया।

19. मा0अध्यक्ष की अनुमति से निम्न अन्य बिन्दुओं पर भी चर्चा की गई–

(a) हस्तिनापुर क्षेत्र में पर्यटन विभाग, वन विभाग आदि का सहयोग लेकर तथा भूमि का सत्यापन परगनाधिकारी मवाना से कराकर इस क्षेत्र को मेरठ विकास प्राधिकरण ईको टूरिज़्म, विलेज टूरिज्म आदि के रूप में विकसित करने का कार्य किया जाये।

आगामी बोर्ड बैठक में DPR प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिए गए।

(b) शहरी क्षेत्र में अन्य विभागों की खाली, अनुपयोगी भूमि के सम्बन्ध में एक कार्य–योजना मेरठ विकास प्राधिकरण इस रूप में तैयार करें कि उक्त स्थलों का विकास सम्बन्धित विभाग के साथ, समन्वय करके

अच्छे ढंग से किया जाये ताकि प्रश्नगत भूमि के उपयोग से प्राधिकरण को आर्थिक लाभ हो सके एवं भूमि भी भविष्य में अतिक्रमण से मुक्त रह सके।

आगामी बोर्ड बैठक में कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

(c) वन विभाग के साथ सामन्जस्य स्थापित कर संजय वन को सिटि फोरेस्ट के रूप में विकसित किये जाने के निर्देश दिये गये।

उपरोक्त कार्य अवस्थापना निधि से कराए जाने की सैद्धांतिक सहमति दी गयी। मा0 बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि विस्तृत आगणन, गठित कर अवस्थापना निधि स्वीकृति हेतु निर्धारित समिति से अनुमोदित कराने के उपरान्त विकास सम्बन्धी कार्यवाही की जाए।

अन्त में प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद सहित बैठक समाप्त की गयी।

(चन्द्र पाल तिवारी)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(अभिषेक पाण्डेय)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(सेल्वा कुमारी जे0)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड,
मेरठ।